



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6703

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44137/ 2025

तेजराम

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी

आवेदक पक्ष के अधिवक्ता : अली हसन, इस्तियाक अली
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता: : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह तथा राज्य-प्रतिवादी के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या 577 वर्ष 2025, धारा 8/18/29/60 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, थाना कैंट, जनपद बरेली में जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक के व्यक्तिगत कब्जे से लगभग 1 किलोग्राम 48 ग्राम स्मैक की बरामदगी दर्शाई गई है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है। वास्तव में आवेदक से कोई ऐसी बरामदगी नहीं हुई। यह भी प्रस्तुत किया गया कि कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है, अतः उसे झूठा फँसाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आगे यह भी कहा गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 एवं 52-क के प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया है। रासायनिक विश्लेषक की कोई रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे अनावश्यक उत्पीड़न एवं प्रताड़ना हेतु झूठा फँसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक दिनांक 26.10.2025 से जेल में निरुद्ध है। उसके विरुद्ध एक अन्य आपराधिक मामला है, जिसका स्पष्टीकरण जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में दिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे यह भी कहा गया कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से पलायन करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक यह आश्वासन देता है कि जमानत मिलने पर वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विपरीत पक्ष में, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया कि विचारण से पूर्व के चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, जो कि प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति में संलिप्त है, अतः वह किसी रियायत का अधिकारी नहीं है। यह भी कहा गया कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है।

अतः जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, आवेदक **तेजराम** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

1. आवेदक जांच या विचारण के दौरान गवाहों को डराकर/प्रभावित कर अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारी से विचारण में सहयोग करेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा। आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा बंधपत्र स्वीकार करने से पूर्व किया जाएगा।

(अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

12 जनवरी 2026

पीकेएस